for projects other than linear projects)
Office of the District Collector, Kangra at Dharmshala.

No. 4358 /DRA Dated: 17 Dec, 2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF),Govt.of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August,2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidenes for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act,2006 (FRA,for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of Other than linear projects,it is certified that…08-58-49. Hectares situated in Mohal Kand Kardiyana and Paddar Tehsil Dharamshala of forest land proposed to be diverted in favour of Himachal Department Turism and Civil Aviation Department **for Construction of Chamunda to Addi Himani Chamunda Ropeway,** Kangra District falls jurisdiction of Dharmshala Forest Divisionl.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 08-58-49 hect .of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Kardiyana,, Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure…1…to……. .

(b) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dewellers, who are eligible under the FRA,

(c) The Gram Sabha Kardiyana, has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the pupose and details of propsed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Kardiyana, is enclosed as annexure……..

(d) The discussion and dicisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have been their consent to it,

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl.As above.

District Collector
Kangra at Dharamshala.

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

दिनांक 07.12.2016 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अर्न्तगत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही

जिला स्तरीय समिती अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 की बैठक दिनांक 07.12.2016 को श्री सी0पी0 बर्मा, भा0प्र0से0 उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसमें सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1 सहायक अरण्यपाल वन नूरपुर व देहरा	सदस्य
2 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला।	सदस्य
3 वन मण्डल अधिकारी पालमपुर।	सदस्य
4 श्री गगन सिंह	सदस्य

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की । वैठक में निम्नलिखित कार्य व लोक निर्माण विभाग से विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतू उक्त एकट के अर्न्तगत प्रमाण पत्र ज़ारी किये जाने बारे आवेदन उपमण्डल स्तरीय कमेटी धर्मशाला, कांगड़ा, , नूरपुर ,फतेहपुर , बैजनाथ से आवेदन प्राप्त हुऐ ।

उपमण्डल अधिकारी(ना0)ज्वाली से निम्नलिखित संडको के निर्माण हेतू आवेदन प्राप्त हुऐः–

1 लिंक रोड मन्डोल चचियां राजा का तालाब।
2 अमनी धार मन्डोल वेही पठियार

उपमण्डल अधिकारी (ना0) बैजनाथ से निम्नलिखित संड़को के निर्माण हेतू आवेदन प्राप्त हुऐः–

1 लिंक रोड हरेड़ से फटाहर ।
2 विनवा खडड में पूल के निर्माण हेतू ।
3 लिंक रोड दरेर से कण्ड कोसरी के निर्माण हेतू।

उपमण्डल अधिकारी(ना0) कांगड़ा से निम्नलिखित मामले प्राप्त हुऐः–

1 डिग्री कालेज लंज के बिस्तार हेतू।
2 बस अडडा वडोह के बिस्तार हेतू।
3 आई0टी0 पार्क गगल के निर्माण हेतू

उपण्डल अधिकारी(ना0) फतेहपुर से निम्नलिखित संडको के निर्माण हेतू आवेदन प्राप्त हुऐ है।

1 लिंक रोड हटली मोहली सड़क के निर्माण हेतू ।
2 लिंक रोड़ भटोली अगाहर के निर्माण हेतू।
3 लिंक रोड़ वडूखर खडोण वरोह, मलहन्ता, संडक के निर्माण हेतू।

उपण्डल अधिकारी(ना0) धर्मशाला से निम्नलिखित मामले प्राप्त हुऐ है:–।

1 रोपवे चामुण्डा से आदि हिमानी।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर से स्वागत कक्ष खुशी नगर के बिस्तार हेतू प्राप्त हुआ है।

बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त समस्त मामलों को ध्यानपूर्वक देखा गया। उपमण्डल स्तरीय समिति से प्राप्त बैठक की कार्यवाही से पाया गया कि उपरोक्त मामलों में किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नही किया गया है तथा कमेटी के किसी भी सदस्यों द्वारा कोई एतराज नही जताया गया। अतः समस्त मामले जिला स्तर की बैठक में परित कर दिये गये हैं जिस बारे प्रमाण पत्र जारी की दिये जाऐगें।

इसके अतिरिक्त उपमण्डल अधिकारी (ना0) बैजनाथ से वन अधिकार के दावों के 28 मामले प्राप्त हुऐ है, जिनमें निम्न ऋुटियां पाई गई:–

1 अधिकारों की सीमा चिहिन्त करने हेतू खसरा न0 की रिपोर्ट मिसलों में शामिल नही है।

2 उपमण्डल अधिकारी ना0 द्वारा प्रस्तुत किऐ दावों के साथ संलग्न दस्तावेजों का सही हवाला दर्ज नही किया गया है।

अतः इस बारे सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (ना0) से चर्चा के उपरान्त पुनः जिला स्तरीय बैठक में रखा जऐगा।

तत्पश्चात उपायुक्त महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करके बैठक को समाप्त कर दिया ।

(सी0पी0वर्मा,भा0प्र0से0)
उपायुकत कांगड़ा एंव अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

स्थान—-धर्मशाला
दिनांक दिसम्बर, 2016

पृष्ठांकन संख्या 4329-4336/डी0आर0ए0 दिनांक: 15.12.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला।
2 सहायक अरण्यपाल वन नूरपुर ,देहरा।
3 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला, पालमपुर ।
4 श्री गगन सिंह गौरा गांव वंगार डा0 वाह तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा।

अति0 जिलादण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

Office of the Sub-Divisional Officer (C) Dharamshala District Kangra H.P.

Proceeding of the meeting of the sub-division level committee constituted under schedule tribes & others traditional forest dwellers (Recognition of Right) Act (FRA) 2006.

A meeting of the sub-division level committee of Dharamshala Sub- Division, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Shrawan Manta (HAS), SDO (civil) Dharamshala on 05-12-2016 at 11 AM at Dharamshala and Sh. Yaseen Mohmad Naib-Tehsildar Dharamshala, Smt. Sunita Devi BDC Sokni da Kot, Smt. Anjana Devi, BDC Jandrangal & Sh, Rajmal, BDC Tang Narwana members were present in the meeting in which the application(s) claiming rights in Dharamshala forest area under FRA,2006, of the following applicant(s) duly processed and recommended by the forest right(s) committee Kand Kardiyana and Padder were discussed to considered the same for recommendation of the District level committee.

After scrutiny of the document and detailed discussion, the following discussions, were taken on an application:-

No application regarding claim received from Forest Right Committee Kand Kardiyana and Padder is pending.

After considering the resolution No 1 dated 4-4-2016 passed by Forest Right Committee. Kand Kardiyana (Anx-I) and resolution dated 2-10-2016 passed by Forest Right Committee Padder (Anx-II) and resolution No 15 dated 2-10-2016 passed by Gram Panchyat Padder (Anx-III) the Sub-Divisional committee hereby recommend that the land measuring 8-58-49 hect situated at Mohal Kand Kardiyana and Padder Tehsil Dharamshala Distt Kangra HP should be transferred in favour of HP Tourism and Civil Aviation department for construction of Chamunda to Addi Himani Chamunda ropeway. Further it is certified that no settlement claim is pending before the Sub-Division Level Committee under ST & other Traditional Forest Dwellers Act/ Rule 2006.

Place: Dharamshala

Date: 5th December, 2016.

SDO (Civil)-cum-Chairman,
Sub-Division Level Committee
Dharamshala.

Proceedings of the meeting held on dated 05-12-2016 at 11.00 AM in the office of the Sub-Divisional Officer (C) Dharamshala regarding FRA

The following officers/officials were present in the meeting:-

Sr. No.	Name of Department	Name & Designation	Mob. No.	Signature
1.	Revenue	Yoseenmoad N.O.	9816812805	[signature]
2.	Sunita	B.D.C Sokhni Da Kot	9736513294	Sunita
3.	Anjna	B.D.C Jadrangal	9882152210	Anjna
4.	RAJMAL	B.D.C. Tang Narwana	9805454024	[signature]
5.	Mangkum	HRTC D/Sala	9882099107	Mangkum
6.	Kishanchand	H.P.P.W.D Sub Div Gagga	94183551 84	[signature]
7.	Anil K Sharma	HP PWD Sub Div Shahpur	9816224369	[signature]
8.	Er. VIJAY Gulera	H.P.S.C.D.O.	9816211105	[signature]
9.	Kanungo Tourism	Prem Kumar Tourism Dharamshala	9418253812	[signature]
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

आज दिनाँक 05-12-2016 समय 11.00 बजे पूर्वान्ह को कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला में जनजाति एवं अन्य दूसरे वन अधिकारों पर प्रभाव ना पड़ने वारे संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उपमण्ड़लीय स्तर कमेटी की बैठक श्री श्रवण मान्टा उपमण्डलाधिकारी (ना0) धर्मशाला की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिस में निम्न लिखित मामलों पर चर्चा की गई है:-

1. मैसर्ज़ इन्दिरा प्रियदर्शनी हाईड्रो पावर प्रा. लि. मनूनी द्वितीय लघु विधुत परियोजना के निर्माण हेतू कुल भूमि 2-89-71 हैक्ट मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है। जोकि वन अधिकार समिति, ग्राम सभा खडौता द्वारा दिनांक 23-03-2016 को अनुमोदित किया गया है।
2. भद्रकाली हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट के निर्माण हेतु गांव छैणी ले गांव गतड़ी तक सड़क के निर्माण हेतू कुल भूमि 2-30-36 हैक्ट मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है। जोकि ग्राम सभा भतल्ला द्वारा दिनांक 20-07-2016 तथा वन अधिकार समिति नडडी (गतड़ी) द्वारा दिनांक 19-07-2016 को अनुमोदित किया गया है।
3. ग्राम पंचायत पधर से आदि हिमानी चामुण्डा रोप वे के लिये कुल भूमि 8-58-49 हैक्ट. अर्जित की जानी है। जोकि ग्राम सभा पधर द्वारा दिनांक 02-10-2016, वन अधिकार समिति ग्राम सभा करडियाणा द्वारा दिनांक 04-04-2016 व ग्राम पंचायत कंड करडियाणा द्वारा दिनांक 03-04-2015 को अनुमोदित किया गया है।
4. भितलू से चमयारा सड़क के निर्माण हेतू कुल भूमि 2-82-70 हैक्ट मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है। जोकि वन अधिकार समिति ग्राम सभा भितलू द्वारा दिनांक 30-09-2015 को अनुमोदित किया गया है।
5. गांव भरयाल हरनेरा सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतू कुल भूमि 0-85-00 हैक्ट अर्जित की जानी है। जोकि वन अधिकार समिति ग्राम सभा हरनेरा द्वारा दिनांक 30-07-2015 को अनुमोदित किया गया है।
6. सम्पर्क सड़क रुलेहड़ से बतूनी के निर्माण हेतू अर्जित की जानी है। जोकि वन अधिकार समिति चोला ग्राम सभा द्वारा दिनांक 06-04-2016 व वन अधिकार समिति जूहल द्वारा दिनांक 12-05-2016 को अनुमोदित किया गया है।
7. सम्पर्क सड़क खड़ा डंडा से गांव हीरु के निर्माण हेतू कुल भूमि 0-94-03 हैक्ट. अर्जित की जानी है। जोकि वन अधिकार समिति वाई सभा मैक्लोड़गंज न.नि. धर्मशाला द्वारा दिनांक 27–06-2016 को अनुमोदित किया गया है।
8. बस संस्थान धर्मशाला के विस्तारीकरण हेतु कुल भूमि 2143.38 वर्ग मीटर अर्जित की जानी है। जोकि वन अधिकार समिति वाई सभा वाई नं. 6 न.नि. धर्मशाला द्वारा अनापति प्रमाण पत्र दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित मामलों को चर्चा के उपरान्त सही पाया गया तथा उपरोक्त वर्णित मामलों से सम्बन्धित कोई आपति वैठक में प्रस्तुत न हुई। वन अधिकार समिति, नगर पालिका एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के आधार पर उपरोक्त मामलों को अनुमोदित किया जाता है।

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	नाम पद	हस्ताक्षर
1.	वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मशाला।	सदस्य	
2.	तहसीलदार धर्मशाला।	सदस्य सचिव	Mohd
3.	श्री राजमल पुत्र श्री प्रताप चन्द गांव उथड़ा डा. रमेहड़ तहसील धर्मशाला।	सदस्य	Rajmal
4.	श्रीमति अंजना देवी पत्नी श्री राजकुमार गांव बल्ला जन्दरांगल डा. करडियाणा तहसील धर्मशाला।	सदस्य	Anjna
5.	श्रीमति सुनीता देवी पत्नी मदन लाल गांव सोकनी दा कोट डा. खन्यारा तहसील धर्मशाला।	सदस्य	Sunita Devi

(.ना) मण्डल अधिकारी वन
धर्मशाला।

वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राँम पंचायत ....पद्दर....

विकास खण्ड ....धर्मशाला....जिंला काँगड़ा हि0 प्र 0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति ....गायत्री देवी.... **दिनाँक** ..02/10/2016.

गणपूर्ति ...162/640.-पंचायत पद्दर
13/151 वन अधिकार समिति **प्रस्ताव संख्या**

विषय NOC/HP TOURISM. हि0 प्र पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग को चामुण्डा से आदि हिमानी चामुण्डा रज्जू मार्ग के निर्माण हेतू......... महाल पधर 0-64-58 है0 जिसमें वन क्षेत्र में प्रस्तावित शुन्य है0 वन भूमि के उपयोग की मन्जूरी के लिये अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतू ।

ग्राँम पंचायत पधर की बैठक आज दिनाँक .02/10/2016. को ..11:00..बजे स्थान पधर में की गई, जिस में हि0 प्र 0 पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग को चामुण्डा से आदि हिमानी चामुण्डा में रज्जू मार्ग के निर्माण हेतू 0-64-58 है0 जिस में से वन क्षेत्र में प्रस्तावित शुन्य है0 वन भूमि के उपयोग की मन्जूरी के लिये अनापति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई । सभी ग्रांमवासियों ने सम्बन्धित वन विभाग के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उदेश्यों को पूरी तरह समझने के वाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्रांम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिये वन भूमि दिये जाने पर कोई आपति नहीं है।

ग्रांम सभा की इस वैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है। तथा प्रस्तावित शुन्य है0 वन भूमि को हि0 प्र 0 पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग को चामुण्डा से आदि हिमानी चामुण्डा रज्जू मार्ग के निर्माण हेतू उपयोग के लिये ग्रांम सभा पधर की सहमति दी जाती है।

स्थान ....पद्दर....
.02/10/2016.

~~ग्रांम पंचायत एवं विकास अधिकारी दिनाँक~~
ग्रांम पंचायत ....पद्दर....
गायत्री देवी
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
पद्दर

अनुसुचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्रांम पंचायत कंड करड़ियाना विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति शारदा देवी प्रधान दिनाँक 06-04-2016

गण पूर्ति 120 / 340 प्रस्ताव संख्या 17

विषय HP TOURISM विभाग/संस्था रोपवे आदि हिमानी चामुण्डा के निर्माण हेतू करड़ियाना 3-27-72 जंगल करडयाणा 1-12-06 चकवन चामुण्डा 5-73-19 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 8-58-49 हैक्ट. वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिये अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्धारित मापदंडों अनुसार

ग्रांम पंचायत कंड करड़ियाना ग्राम सभा की बैठक आज दिनाँक......... को 11:00 A.M. बजे, स्थान पंचायत कार्यालय कंड करड़ियाना में की गई, जिस में H.P. पर्यटन विभाग/संस्था को रोपवे आदि हिमानी चामुण्डा मंदिर के निर्माण हेतू करड़ियाना जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.............. हैक्ट. निर्धारित मापदंडों अनुसार वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिये अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वारे चर्चा की गई। सभी ग्रांमवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के वाद सर्व सम्मति से यह निर्णयलिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्तावके लिये वन भूमि दिये जाने पर कोई आपति नहीं है। गॉम सभा की इस बैठक मे अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्पारगत वन निवासी (वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों कें दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है। तथा पस्तावित 8-58-49 हैक्ट. वन भूमि को रोप वे आदि हिमानी चामुण्डा निर्माण हेतू उपयोग के लिये ग्रांम सभा कंड करड़ियाना की सहमति दी जाती है। स्थानीय परंपरागत वन निवासियों की मांग है कि ग्राम पंचायत कंड करड़ियाना के निवासियों को रोजगार हेतु प्राथमिकता देनी होगी व किराये में विशेष छूट का भी प्रावधान करना होगा।

स्थान कंड करड़ियाना

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

Gram Panchayat ... F. L. Block Dharamshala

दिनांक 15/08/2016

ग्राम पंचायत Kangra H.P.

PUBLIC NOTE :- निजी भूमि के मालिकों से कम्पनी को अपने स्तर पर N.O.C. लेना होगा व कम्पनी को स्थानीय युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार देना होगा व किसी भी गांववासी की निजी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिये।

अनुसुचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्रांम सभा......करड़ियाणा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1.................. दिनॉक......04-04-2016

वन आधिकार समिति,ग्रांम सभा करड़ियाणा की बैठक आज दिनॉक 4/4/2016 प्रातः 11 बजे को बजे स्थान करड़ियाणा में श्री/श्रीमति राकेश कुमार प्रधान F.R.C करड़ियाणा की अध्यक्षता मे दिनॉक 4/4/2016..............की गई, जिस में गाँव करड़ियाणा महाल करड़ियाणा मौजा नरवाणा खसरा न0 किता 31........रकवा 8-58-49 है० गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत महाल करड़ियाणा जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतू प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें रोपवे आदि हिमानी चामुण्डा के निर्माण के लिये निर्धारित मापदण्डों अनुसार 8-58-49 हैक्ट वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पंहुची कि श्री/श्रीमति पर्यटन विभाग हि०प्र०....जगल/वन करड़ियाणा क्षेत्र में रोपवे निर्माण के लिये अधिकार हेतू दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही~~नहीं पाया गया~~ तथानुसार समिति इस दावे को पारित करते हुये इसे उपखण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती हैं/ ~~तदानुसार समिति इस दावे को निरस्त करती~~ है। हैक्ट. वन भूमि को रोपवे हिमानी चामुण्डा निर्माण हेतू उपयोग के लिये ग्रांम सभा करड़ियाणा...की सहमति दी जाती है। गाँव करड़ियाणा के स्थानीय ~~[illegible]~~ परम्परागत वन निवासियों की मांग है कि ग्राम करड़ियाणा के निवासियों को रोजगार हेतु प्राथमिकता देनी होगी व स्थानीय पंचायत को किराये में विशेष छूट दी जाए निजी भूमि मालिकों ~~[illegible]~~ कम्पनी को अपने स्तर पर N.O.C लेनी होगी।

स्थान करड़ियाणा

दिनांक 15/08/2016

R.K. [signature] प्रधान

[signature] सचिव

~~[illegible] अधिकारी~~

वन अधिकार समिति गांव ....

ग्राम पंचायत...कंड करड़ियाणा

कार्यालय

ग्राम पंचायत पद्दर

विकास खण्ड़ धर्मशाला, त० धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

क्रमांक 15/G.P.P. दिनांक 02-10-2016

अनुक्रम0 प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या - 03 आज दिनांक 02-10-2016 को ग्राम सभा पद्दर की बैठक प्रधान श्रीमति मधुबाला की अध्यक्षता में हुई।

विषय :- आदि हिमानी चामुण्डा रोप वे हेतु अनापत्ति प्रस्ताव जारी करने बारे।

यह है कि ग्राम सभा बैठक में अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत पद्दर से आदि हिमानी चामुण्डा रोप वे बनना प्रस्तावित है जिसके लिए अनापत्ति प्रस्ताव की आवश्यकता है। जिस पर विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पारित किया गया कि उपरोक्त रोप-वे के निर्माण में ग्राम सभा पद्दर को कोई आपत्ति नही है बशर्ते इससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो तथा सरकारी नियमानुसार इसका निर्माण हो व इस रोप-वे के कार्य में ग्राम पंचायत पद्दर के स्थानिय निवासियों को कुशल व अकुशल कार्य में रोजगार दिया जाए। अत: अनापत्ति प्रस्ताव की प्रतिलिपि हि०प्र० पर्यटन विभाग को प्रेषित की जाए।

1.) प्रतिलिपि हि०प्र० पर्यटन विभाग को सेवा में प्रेषित है।

प्रधान ग्राम पंचायत पद्दर, वि.ख. धर्मशाला, जिला कांगड़ा

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Paddar
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

हस्ताक्षर MBala

दिनांक 02/10/2016.